आज़ादी का
अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 29.01.2024 से 04.02.2024)

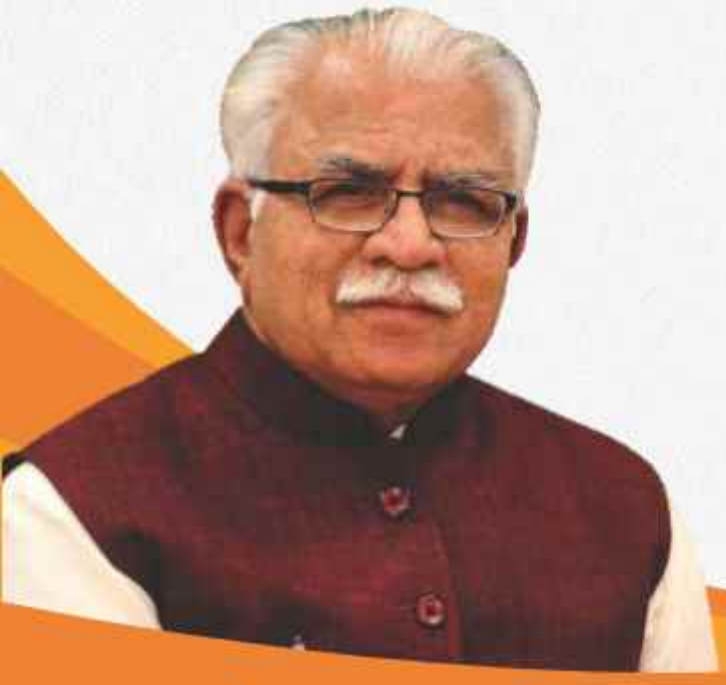

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पैतृक मकान गांव को किया सुपुर्द

(दिनांक 29.01.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी **रोहतक से भिवानी जाते समय अपने गांव बनियानी पहुंचे और अपने पैतृक घर पर पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया।**

उन्होंने ग्रामीणों के समक्ष सामाजिक कार्य के लिए अपने मकान को गांव के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा। **माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रस्ताव का ग्रामीणों ने जोरदार तालियां बजाकर व नारे लगाकर स्वागत किया।**

यह गांव उनके लिए दर्शनीय है, क्योंकि उनका बचपन यहां बीता है और पढ़ाई भी यहीं पर रहकर की है। उन्होंने कहा कि यह मकान उनके माता–पिता की निशानी है, जो उन्होंने उनके नाम किया था। उन्होंने कहा कि यह घर आज वे गांव को सुपुर्द कर रहे हैं। **उन्होंने अपने मकान के साथ लगते चाचा के बेटे के मकान को भी गांव को**

सौंप दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दोनों घरों को मिलाकर यह लगभग 200 गज का क्षेत्र है। **उन्होंने कहा कि इस मकान में ई–लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।** ई–लाइब्रेरी, कंप्यूटर के अलावा किताबें उपलब्ध करवाई जाएगी। बुजुर्गों की रुचि के मुताबिक भी यहां किताबें आदि सामान भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि इस मकान का सदुपयोग हो, बच्चे यहां बैठकर पढ़े–लिखे और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। इस उद्देश्य से गांव की समिति का गठन किया जाएगा, जो इसकी पूरी देखरेख करेगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

अप्रवासी भारतीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन

(दिनांक 29.01.2024)

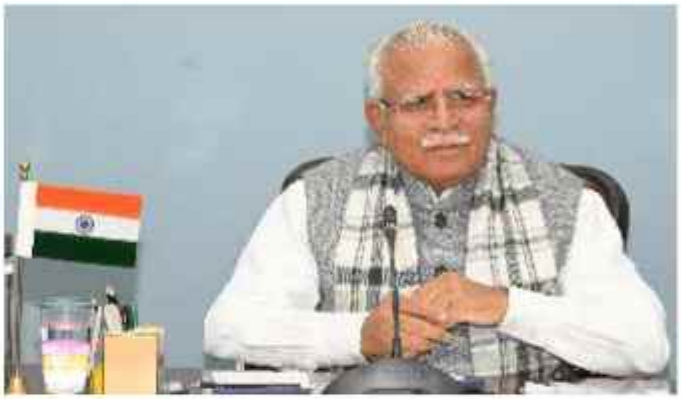

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रवासी भारतीयों विशेषकर हरियाणा मूल के एनआरआई के समक्ष आ रही कठिनाइयों व शिकायतों का समाधान एक ही छत्त के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए **हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में अप्रवासी भारतीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ सृजित किया गया है।** मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय का परिपत्र जारी किया गया है।

हाल ही में गांधीनगर में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट–2024 के दौरान जापान, अमेरिका व अफ्रीकन देशों की 10 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के साथ वन–टू–वन बैठक की थी और हरियाणा में निवेश करने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

निवेशकों ने हरियाणा सरकार की उद्योग एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के बारे जानकारी ली थी और नीति के तहत हरियाणा में वर्तमान में स्थापित अपनी इकाइयों के विस्तार व नए स्थानों पर निवेश करने की इच्छा जाहिर की थी।

इस दौरान विदेशी निवेशकों और एनआरआई ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कठिनाइयों व शिकायतों का समाधान त्वरित रूप से प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से सहयोग का निवेदन किया था और इसी कड़ी में अप्रवासी भारतीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ सृजित किया गया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

मंत्रिमंडल की बैठक

(दिनांक 30.01.2024)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें मुख्यतः निम्न निर्णय लियेः–

एनआईटी फरीदाबाद में 1094 वर्ग गज सरकारी भूमि को सैन समाज कल्याण सभा, फरीदाबाद को हस्तांतरित करने की मंजूरी प्रदान।

यह निर्णय सामाजिक धार्मिक धर्मार्थ सामुदायिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के आवंटन की नीति के तहत धर्मशाला और मंदिर जैसे धार्मिक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए 915 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन के लिए सोसायटी के अनुरोध के तहत लिया गया है।

प्रस्तावित हस्तांतरण में राजस्व विभाग की सरकारी भूमि शामिल है और निर्णय दिनांक 12–02–2019 की नीति के पैरा 8 के अनुरूप है।

1947 में पश्चिमी पंजाब से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्ववर्ती भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि, अब सैन समाज कल्याण सभा, फरीदाबाद के लिए पूजा स्थल और

सामुदायिक सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से दी गई है ।

मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कंटेनर डिपो, कृषि गोदामों की स्थापना हेतु किया नीति में संशोधन।

एकीकृत मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, इंटीग्रेटेड इनलैंड (एकीकृत अंतर्देशीय) कंटेनर डिपो, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस–कम–रिटेल, ट्रकर्स पार्क, कैश एंड कैरी, वेयरहाउस, कोल्ड चेन सुविधाएं और गैस गोदाम स्थापित करने के लिए नीति में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधित नीति के तहत, इंटीग्रेटेड इनलैंड कंटेनर डिपोध्कस्टम बाउंडेड क्षेत्रों की स्थापना के लिए न्यूनतम 20 एकड़ क्षेत्र आवश्यक होगा, जो वर्तमान में 50 एकड़ है। खुदरा सुविधाओं वाले कृषि गोदामों के लिए न्यूनतम 2 एकड़ क्षेत्र अनिवार्य होगा, जबकि खुदरा सुविधाओं वाले गैर–कृषि गोदामों के लिए 5 एकड़ की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, डेवलपर्स को कृषि गोदामों के लिए न्यूनतम 33 फीट और गैर–कृषि गोदामों के लिए 60 फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। इन संशोधनों का उद्देश्य नगर एवं ग्राम आयोजना और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग दोनों की नीतियों में न्यूनतम पात्रता शर्तों और दृष्टिकोण मानदंडों में स्थिरता बनाए रखना है।

'हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016' के तहत मौजूदा अधिसूचना में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान।

इस निर्णय का उद्देश्य ऐसे रोगियों को दिव्यांगता पेंशन का लाभ प्रदान करना और इन रोगियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीज, जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपये तक है, अब 3000 रुपये की मासिक दिव्यांगता पेंशन के हकदार होंगे। इस निर्णय से लगभग 2083 रोगियों को लाभ होने की उम्मीद है और वर्तमान में 3000 रुपये मासिक पेंशन की दर के अनुरूप 7.49 करोड़ रुपये

साप्ताहिक सूचना पत्र

का वार्षिक वितरण होगा। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट (2022) के अनुसार, हरियाणा में थैलेसीमिया के लगभग 1300 मामले और हीमोफीलिया के लगभग 783 मामले दर्ज किए गए हैं।

14 पेंशन योजनाओं के लिए 250 रुपये मासिक वृद्धि को मंजूरी प्रदान।

इस निर्णय से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लगभग 31.40 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने सेवा विभाग के तहत संचालित नौ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की दरों में 2000 रुपये से बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है. 2,750रु से रु. 3,000 प्रति माह, 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी।

इन योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला को पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, हरियाणा के बौनों को भत्ता, हरियाणा के किन्नरों को भत्ता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता, कश्मीरी प्रवासियों को वित्तीय सहायता योजना, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, चरण–3 और चरण–4 कैंसर

रोगियों के लिए वित्तीय सहायता, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता आदि शामिल हैं। इसके अलावा, स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों की योजना के लिए वित्तीय सहायता 2,150 से 2,400 रुपये बढ़ा दी गई है।

ब्राह्मण सभा को धर्मार्थ कार्यों के लिए कलेक्टर दर के 50 प्रतिशत की रियायती दर पर करेगी भूमि आवंटित।

आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों की शैक्षणिक उन्नति के लिए नगरपालिका समिति, जुलाना की 510.04 वर्ग मीटर भूमि को धर्मार्थ कार्यों के लिए ब्राह्मण सभा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि कलेक्टर दर की 50 प्रतिशत की रियायती दर पर आवंटित की जाएगी। इस भूमि का हस्तांतरण ब्राह्मण सभा को रियायती दर पर हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 62 ए के खंड (घ) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान।

बैठक में निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को अवैध आप्रवासन (इमीग्रेशन)रैकेट का शिकार होने से बचाने के लिए 'हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। आप्रवासन से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों में लगे भ्रष्ट ट्रैवल एजेंटों द्वारा धोखा दिए जाने वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों से, की परेशानी को कम करने के लिए यह साहसिक पहल की गई है।

कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ट्रैवल एजेंट का पेशा नहीं कर सकता। आवेदन सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक दस्तावेजों, शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा। सक्षम प्राधिकारी आवेदन विवरण को

साप्ताहिक सूचना पत्र

सत्यापित करने के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

विधेयक के अनुसार प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाता जब तक कि पुलिस द्वारा विवरण सत्यापित नहीं किया जाता है, पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता तीन साल के लिए होती है, जिसे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नवीनीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, नया कार्यालय या शाखा खोलने के लिए नया पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। अधिनियम में यह भी उल्लेख किया गया है कि अदालत, इस अधिनियम के तहत अपराधों को संबोधित करते हुए, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती का आदेश दे सकती है, मानव तस्करी या जाली दस्तावेजों में शामिल व्यक्तियों को दस साल तक की कैद और 2–5 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित उपकरणों का उपयोग करने पर 7 साल तक की कैद और दो से पांच लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

हरियाणा माननीय शव निपटान विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान।

डेड–बॉडी (मृत शरीर) के अधिकार

और गरिमा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य किसी मृत शरीर का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना है।

मृत व्यक्ति की पवित्रता की रक्षा करने और समय पर अंतिम संस्कार में बाधा डालने वाले किसी भी अनुचित विरोध या आंदोलन को रोकने की आवश्यकता को पहचानते हुए, यह विधेयक स्पष्ट रूप से शवों के निपटान के संबंध में किसी भी मांग या प्रदर्शन पर रोक लगाता है।

प्रस्तावित कानून उन मामलों में सार्वजनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी पर भी जोर देता है जहां परिवार के सदस्य मृत शरीर को अस्वीकार कर देते हैं, जिससे उचित अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया जाता है।

ऐसे मामलों में पब्लिक अथॉरिटी को कदम उठाने और मृत शरीर के लिए गरिमापूर्ण और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।

गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी प्रदान।

उक्त अधिसूचना के खंड 4 (3) में संशोधन के अनुसार अब सेवानिवृत्त अधिकारी को भी गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

राज्य सरकार के बीच से शब्दों के बाद और राज्य में अधिकारी शब्दों से पहले, सेवारत या सेवानिवृत्त शब्द जोड़ा जाएगा। वर्तमान में अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मुख्य अभियंता या उससे ऊपर के स्तर के राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले किसी भी संगठन के अधिकारियों में से एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी।

हालांकि अब यह निर्णय लिया गया है कि गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए एक सेवानिवृत्त अधिकारी पर भी विचार किया जा सकता है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

ग्लोबल सिटी, गुरुग्राम और आईएमटी, सोहना में बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा औद्योगिक संपदा, एचएसआईआईडीसी के अन्य स्थानों पर भूमि विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान।

गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी और आईएमटी, सोहना में बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा औद्योगिक क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भूमि विकास के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) की 1500 करोड़ रुपये की कार्य सीमा को मंजूरीध्बढ़ाने को स्वीकृति दे दी गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्यशील पूंजी सीमा में वृद्धि 1500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ब्याज दर टी–बिल दरों से जुड़ी हुई है, जो एक प्रतिस्पर्धी और बाजार–संरेखित वित्तपोषण संरचना सुनिश्चित करती है।

हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एच.एम.डी.ए), 2024 विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान।

हरियाणा सरकार ने हिसार में समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए हिसार महानगर प्राधिकरण (एचएमडीए) के गठन करने का निर्णय लिया है। इससे हिसार मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के निरंतर और संतुलित विकास सुनिश्चित होगा।

हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एच.एम.डी.ए) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जी.एम.डी.ए),

गुरुग्राम, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफ.एम.डी.ए), फरीदाबाद, पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पी.एम.डी.ए), पंचकुला और सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की समान तर्ज पर काम करेगी। प्राधिकरण अन्य प्रमुख विभागों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से काम करते हुए लोगों को बुनियादी ढांचे और अन्य प्रमुख सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

हरियाणा लघु खनिज रियायत भंडारण, खनिजों के परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी प्रदान।

इन नियमों को हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम (संशोधन) नियम 2024 कहा जाएगा।

भूमि मालिकों की सुविधा के लिए नियम 3 और 31 में संशोधन किया गया है। हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में उक्त प्रावधानों के तहत 200 रुपये का भुगतान करना होता था, जिसे हटा दिया गया है। बशर्ते कि सामान्य मिट्टीध्क्ले की खुदाई के बदले प्राप्त रॉयल्टी का 50 प्रतिशत विभाग द्वारा ग्रामवार संबंधित ग्राम पंचायत के साथ साझा किया जाएगा। उक्त मुद्दा भूमि मालिक को दी जाने वाली अनुमतियों से संबंधित है।

अनुकंपा के आधार पर 18 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान।

मानवता व शहीदों के नेक हितों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नीति में छूट देते हुए 18 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

नियुक्ति के 18 मामलों में से 8 मामले अर्ध सैनिक बलों के और 10 मामले सशस्त्र सेना से संबंधित थे। उल्लेखनीय है कि शहीदों के आश्रितों

साप्ताहिक सूचना पत्र

द्वारा नौकरी के लिए आवेदन करने में देरी का कारण हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञता होना, नाबालिग होना या बीमार होना आदि बताया गया है।

विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी, 2024 से शुरू करने की मंजूरी प्रदान।

हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी, 2024 से शुरू होगा। यह जानकारी माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे जानकारी देने के लिए प्रैसवार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार किसान को अपने खेत से स्वयं के उपयोग के लिए भरत हेतु उठाई जाने वाली मिट्टी की रायल्टी 200 रुपये अब नहीं देनी होगी और न ही सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता होगी, उन्हें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम को 1500 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अम्बाला से लोकसभा चुनाव कार्यालयों का शुभारम्भ

(दिनांक 30.01.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज **अम्बाला में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करना है।** इस कार्य में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि **वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल होगा, 25 साल का जो कार्यकाल है उसे अमृतकाल की संज्ञा दी गई है।** उन्होंने कहा कि विश्व में 37 विकसित राष्ट्र है और विकसित राष्ट्र के लिए कुछ पैरामीटर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम भी विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल होने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कुछ जिलों में यह यात्राएं चल रही हैं, 31 जनवरी तक इन यात्राओं का समापन होगा। हर व्यक्ति की, हर

साप्ताहिक सूचना पत्र

परिवार की चिंता करना तथा समाज का वो भाग जो वंचित है, अभावग्रस्त है उसे मुख्य धारा से जोडने का काम हमने इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से करने का काम किया है। **हरियाणा के 6200 गांवों में तथा शहरों में लगभग 2000 जगह यानि पूरे हरियाणा में लगभग 8000 से अधिक जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित करके केन्द्र व प्रदेश की जो योजनाएं है, उनका लाभ हाथों हाथ योग्य पात्रों को दिलवाने का काम किया गया है।** उन्होंने कहा कि हमें इन कार्यों एवं योजनाओं को जनता के बीच जाकर व उनके घर द्वार पर उन्हें अवगत करवाना है, ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि **पिछले साढे 9 वर्षों में पारदर्शी तरीके व योग्यता के आधार पर एक लाख 10 हजार युवाओं को नौकरियां मिली हैं, 60 हजार नौकरियां पाईप लाईन में हैं और अगले दो–तीन महीने में यह नौकरियां भी युवाओं को देने का काम किया जाएगा।** आज गरीब व्यक्ति के घर के युवा को भी नौकरी मिली है, जिससे जनता का विश्वास सरकार के प्रति और बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने अनेक ऐसी योजनाओं को लागू किया है, जिनका अन्य प्रदेश भी अनुसरण कर रहे हैं।

उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश की लाल डोरा मुक्त योजना को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू करने का काम किया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करना

(दिनांक 31.01.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी को **कुरु क्षेत्र विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में स्थापित किए गए रेखी आनंद विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन** अवसर पर कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में रेखी फाउंडेशन फॉर हैप्पीनेस के सहयोग से हैप्पीनेस सेंटर बनाया गया है, इस हैप्पीनेस सेंटर में विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी व आमजन खुश रहने के तौर तरीके सीख सकेंगे और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना भी सरलता से कर सकेंगे। **विद्यार्थियों को सेंटर के माध्यम से खुशी विज्ञान पढ़ाई जाएगी, जिसके माध्यम से तकनीकी दौर में तनाव मुक्त होकर युवा खुश मन से अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य कर सफलता हासिल करेंगे।** उहोंने इस सेंटर की स्थापना के लिए कुलपति प्रो

साप्ताहिक सूचना पत्र

सोमनाथ सचदेवा, रेखी फांउडेशन के प्रतिनिधि डॉ. किरणजोत सिंह व डॉ. प्रभलीन सिंह सहित इस सेंटर की स्थापना में सहयोग देने वाली उनकी पूरी टीम को बधाई दी। इसके उपरान्त उन्होंने कार्यक्रम में **राज्य सरकार द्वारा गुरुओं की सेवा में किए गए कार्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया।** सिख गुरु परंपराओं व उनकी स्मृतियों को संजोने की दिशा में उन्होंने कहा कि जिला कुरुक्षेत्र में पीपली के नजदीक एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें सभी सिख गुरुओं की हरियाणा में जो भी निशानियां व स्मृतियां हैं, उन्हें इस स्मारक में संरक्षित किया जाएगा, ताकि भावी पीढ़ी गुरुओं के जीवन में मानवता की सेवा का अमर संदेश की प्रेरणा ले सकें। **यह संग्रहालय निश्चित ही एक पर्यटन का केन्द्र बनेगा।** सिख राज्य की स्थापना करने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहगढ़, जिला यमुनानगर में देश और दुनिया के लिए बेहतरीन भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इसके लिए लोहगढ़ ट्रस्ट को 20 एकड़ जमीन दे दी गई है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जींद जिला के सफीदों क्षेत्र में सड़को के पुनरुद्धार के लिए 20.10 करोड़ रूपये की मंजूरी

(दिनांक 31.01.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने जींद जिला के सफीदों **क्षेत्र में सडकों के उद्धार के लिए 20.10 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय से हरियाणा में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को निर्बाध परिवहनकी सुविधा मिलेगी।**

एक सरकारी वक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणक्षेत्रों से उत्पादन को बाजार केंद्रों, तहसील मुख्यालयों, ब्लॉक विकासमुख्यालयों, रेलवे स्टेशनों आदि तक पहुंच प्रदान करने वाली सड़कों को अन्य जिलासड़कें (ओडीआर) के रूप में जाना जाता है।

उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफीदों क्षेत्र के लिए गांव जामनी रिटोली सेबनिया खेड़ा से तेली खेड़ा ,भुसलाना से डिडवाड़ा सड़क, लुदाना से निजामपुर सड़क, ढाढरथ से

रायचंदवाला रोड, रत्ता खेड़ा से सिंघपुरा सड़क, धारौली से गंगोली रोड,खरकड़ा से बहादुरपुर रोड, जींद–सफीदों रोड से शिल्ला खेड़ी स्कूल रोड, सरफाबादसे जागसी रोड, धातरथ से खरक गदियान रोड, हाडवा से बगरू सड़क का नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण किया जायेगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

पुलिस अकादमी मधुबन में आयोजित नैतिकता शिविर

(दिनांक 31.01.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुधवार को **हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में हिपा द्वारा प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित नैतिकता शिविर** को बतौर मुख्यातिथि के तौर पर प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि नैतिकता का सबसे बड़ा गुण संवेदनशीलता भी है इसीलिए हम सभी को समाज के अभावग्रस्त और पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए

काम करना होगा ताकि हम स्वयं को एक आदर्श के रूप में स्थापित कर सकें। उन्होंने कहा कि हिपा द्वारा आयोजित इस **मिशन कर्मयोगी हरियाणा अभियान के तहत अभी तक प्रदेश के करीब 2 लाख कर्मचारी लाभान्वित हो चुके हैं।**

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिकारी और कर्मचारियों के दृष्टिकोण को सही दिशा में ले जाना है ताकि हरियाणा प्रदेश को भी विकास की सही दिशा में ले जाया जा सके। भ्रष्टाचार और अनैतिकता इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। हमें स्वयं को अगर आदर्श के रूप में स्थापित करना है तो सोच और दृष्टिकोण बदलकर दूसरों को भी बदलना होगा।

उन्होंने मिशन कर्मयोगी अभियान के लिए हिपा की प्रशंसा करते हुए कहा कि आगामी 31 मार्च तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अभियान के तहत नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। यही नहीं 2 साल में पुन इसका दूसरा चरण भी रखा जाएगा क्योंकि इससे

शिद्दता और स्वच्छता आएगी और जब वातावरण में शुद्धता आती है तो वातावरण ठीक हो जाता है।

कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 एवी बूस्टर नामक प्रेरक वचन का भी शुभारंभ किया। यह प्रेरक वचन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ–साथ स्वामी ज्ञानानंद महाराज व अन्य विद्वानों के प्रेरक वचन होंगे जो प्रदेश के सभी कर्मचारियों तक पहुंचाए जाएंगे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

17 जिलों की 264 अनाधिकृत कॉलोनियां हुई नियमित

(दिनांक 01.02.2024)

प्रभाव : हरियाणा में संस्थागत शहरी विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की कड़ी में आज एक बार फिर माननीय **मुख्यमंत्री जी ने 17 जिलों की 264 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया।** इनमें **नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 91 तथा शहरी स्थानीय विभाग की 173 कॉलोनियां शामिल हैं।**

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इससे पहले भी वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। आज की **264 कॉलोनियों का मिलाकर अब यह संख्या 2101 हो जाएगी।**

इन कॉलोनियां में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध

करवाई जाएंगी। **ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार द्वारा 438 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 54 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है** ताकि कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जा सकें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल का शुभांरभ

(दिनांक 01.02.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने पात्र लोगों को रियायती दरों पर आवास उपलब्ध करवाने के लिए **'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों के लिए आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल का शुभांरभ किया।** योजना के तहत अपना प्लाट सुरक्षित करने के लिए यह पोर्टल आज यानि **1 फरवरी 2024 से लाइव होगा।** पात्र आवेदक आज से ही हाउसिंग फॉर आल विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। शुरूआती चरण में 14 शहरों में 10,542 प्लाट पात्र लोगों को दिए जाएगें। लगभग 15 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से कहा कि प्लाट आवंटन

प्रक्रिया में घूमंतु जाति, विधवा तथा अनुसूचित जाति के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही फलैट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को फलैट प्रदान करने के लिए भी जल्द आवश्यक कार्यवाही करें।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हर परिवार को अपना घर देने के उद्देश्य से शुरू की गई** 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' सितंबर 2023 में प्रारंभ की गई थी।

जिसके तहत शहरों में रहने वाले वाले लगभग 2.90 लाख ऐसे परिवारों द्वारा घर के लिए आवेदन किया गया था जिनके पास अपना घर नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इसमें प्लाट के लिए लगभग 1.51 लाख तथा फलैट के लिए करीब 1.38 लाख लोगों ने आवेदन किया है।

जानकारी देते हुए बताया गया कि **मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल पर आवेदकों का आवेदन करते समय 10,000 रुपये की बुकिंग राशि जमा करवानी होगी।** पोर्टल पर प्लाट बुकिंग के प्रथम चरण में 14 शहरों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं जिनमे चरखी दादरी, गोहाना, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदों, पिंजौर, रोहतक, रेवाडी, महेंद्रगढ, करनाल, पलवल और जुलाना शामिल हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप का शुभारंभ

(दिनांक 01.02.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली विभाग के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए आज **हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया।** यह ऐप हरियाणा डिस्कॉम के हरियाणा ट्रस्ट आधारित रीडिंग के आधार पर बनाई गई है।

यह **हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप प्रथम चरण में पायलट आधार पर पंचकुला, करनाल, महेन्द्रगढ और हिसार जिलों में शुरू की जा रही है।** प्रदेश में बिजली का बिल 2 महीने में एक बार जारी किया जाता है।

अनेक बिजली उपभोक्ता 2 महीने का बिल एक बार में भरने में वित्तीय परेशानी महसूस कर रहे थे, ऐसे उपभोक्ता चाहते थे कि बिल प्रतिमाह मिले। उनकी मांग पर बिल का विकल्प चुनने के लिए यह ऐप बनाई है। इसके माध्यम से उपभोक्ता द्विमासिक अथवा मासिक बिल का चयन कर सकता है।

प्रदेश सरकार ने बिजली का बिल बनाने का काम भी बिजली उपभोक्ता के हाथ में देने का निर्णय लिया है। इस **एप का उपयोग करके उपभोक्ता स्वयं अपने बिलिंग शेड्युल को द्विमासिक से मासिक में बदल सकता है** और स्वयं ही अपने मीटर की वर्तमान रीडिंग दर्ज करके अपना बिजली बिल ऑनलाइन उत्पन्न कर सकता है। इसी मोबाइल एप के माध्यम से उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान भी कर सकता है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

ई–भूमि पोर्टल पर पंजीकृत एग्रीगेटर्स के साथ बैठक

(दिनांक 01.02.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने **हरियाणा निवास में ई–भूमि पोर्टल पर जमीन की खरीद प्रक्रिया के लिए बुलाए गए 100 से अधिक पंजीकृत एग्रीगेटर्स को संबोधित** करते हुए कहा कि विकास के नाते प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से अब जमीन का अधिग्रहण नहीं होता है, बल्कि अब पारदर्शी तरीके से जमीन की खरीद की जाती है।

इसके लिए **सरकार ने ई–भूमि पोर्टल आरंभ किया है, ताकि किसान कलेक्टर रेट व मार्केट रेट के अनुसार अपनी जमीन बेचने के लिए पोर्टल पर ब्यौरा डाले।**

जमीन की खरीद–फरोख्त में एग्रीगेटर भू मालिकों को सहमत करें। कम से कम 100 एकड़ या उससे अधिक जमीन का एक चक तैयार करें और ई–भूमि पोर्टल पर डाले। जैसे ही जमीन की अदायगी किसान को दी जाएगी, वैसे ही एग्रीगेटर को कमिश्न भी दिया जाएगा।

पदमा योजना के तहत कम से कम 100 एकड़ जमीन की जरूरत होती है, जबकि कालेज, अस्पताल, स्कूल, इत्यादि के लिए 10 से 15 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। एग्रीगेटर पहले दिन ही किसानों को रजामंद करते समय बहुआयामी विकल्प पेश करेगा और कई किसानों का समूह बनाकर परियोजना की अवश्यकता अनुसार जमीन की जानकारी का ब्यौरा ई–भूमि पोर्टल पर डालेगा।

कलेक्टर रेट और मार्केट रेट में 10 से 15 प्रतिशत का अंतर नहीं होना चाहिए। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त, राजस्व श्री टीवीएसएन प्रसाद ने बताया की शीघ्र ही नए कलेक्टर रेट जारी कर दिए जाएंगे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

ओडीआर सड़कों के सुधार के लिए हिसार के उकलाना क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट को मंजूरी

(दिनांक 02.02.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने **हिसार जिले के उकलाना में 7 ओडीआर सड़कों की विशेष मरम्मत और सुधार के लिए 25 करोड़ रुपये खर्च की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है।** सरकार के इस निर्णय से हरियाणा में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को निर्बाध परिवहन की सुविधा मिलेगी। इन परियोजनाओं में अनुमानित लागत में फैली गांव कंदुल से किनाला, फरीदपुर से भैणी बादाशपुर, गांव दौलतपुर से खेदड़ वाया इस्सरहेड़ी तथा उकलाना के गांव नोह दोनों बस स्टैंड तक का पुनर्निर्माण सम्मलित हैं। **इसके अलावा, ग्राम चन्ना से संदलाना सड़क का सुदृढ़ीकरण, बरवाला से खरकड़ा तक सड़क की विशेष मरम्मत और गैबीपुर बबुवा हसनगढ़ लितानी सड़क का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।**

साप्ताहिक सूचना पत्र

37वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला–2024 का हुआ भव्य आगाज

(दिनांक 02.02.2024)

प्रभाव : हरियाणा के सूरजकुंड में आज **37वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला–2024 का भव्य आगाज हुआ, जो 18 फरवरी तक चलेगा।** भारत की **राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा 37वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया गया।** इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय और माननीय मुख्मयंत्री जी सहित कई गणमान्य अतिथियों की गरीमामयी उपस्थिति रही। मेले के शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रपति जी ने मेला परिसर में हरियाणा की अपना घर पवेलियन का दौरा किया और हरियाणवी संस्कृति की झलक बिखेर रहे यंत्रों की बारीकी से

साप्ताहिक सूचना पत्र

जानकारी भी ली। राष्ट्रपति जी ने मेला के थीम स्टेट गुजरात राज्य के स्टॉलों का अवलोकन करते हुए शिल्पकारों से भी संवाद किया।

साथ ही मेले के सहभागी देशों व प्रदेशों की सांस्कृतिक विधा को भी देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। परिसर की मुख्य चौपाल के मंच से **राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया।**

उद्घाटन करने उपरांत राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा कि **वर्ष 1987 से हर वर्ष आयोजित किए जा रहे इस मेले के सफल आयोजन के लिए सभी टीमें बधाई की पात्र हैं। उन्होंने इस वर्ष के मेले के आयोजन के लिए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी व उनकी टीम की प्रशंसा की।**

इस अवसर पर राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने आज के दिन को हरियाणा राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिवस बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति

श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति से इस मेले की भव्यता में एक नया आयाम जुड़ा है। उनके आगमन से हरियाणा राज्य के लिए भी आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। राज्यपाल ने कहा की सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटक कैलेंडर में अपनी अलग पहचान बना ली है। अब यह हर साल एक बहू प्रतीक्षित कार्यक्रम है जो निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने **राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का**

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रदेशवासियों की ओर से हरियाणा की धरा पर पधारने के लिए आभार व्यक्त किया।

अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक सूरजकुंड रोमन शैली में बना है और उगते सूरज की आकृति का है। उगता सूरज प्रगति का प्रतीक माना जाता है। इस धरा पर पिछले 36 सालों से लगाये जा रहे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार विशेष महत्व है, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के कर कमलों से हुआ है। आज सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा की पहचान बन चुका है।

पहली बार **इस वर्ष इस मेले में 40 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड है।** यहां देश–विदेश के कलाकारों व शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा देखते ही बनती है। इस मेले में लगभग 1000 से

साप्ताहिक सूचना पत्र

अधिक स्टॉल शिल्पकारों व हस्तशिल्पियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। मेले में हरियाणा की चौपाल, अपना घर के माध्यम से यहां की संस्कृति भी देखने को मिलेगी। 16 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 15 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। सूरजकुण्ड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला पिछले 36 वर्षों से शिल्पकारों और हथकरघा कारीगरों को अपना हुनर प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच रहा है। यह मेला विभिन्न अंचलों की लोक–कलाओं, लोक–व्यंजनों, लोक–संगीत, लोक नृत्यों और वेशभूषा से रू–ब–रू करवाता है। **यह मेला परंपरा, विरासत और संस्कृति की त्रिवेणी है, जो भारत के ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।** प्रदेश में शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए हम इस प्रकार के मंच प्रदान करते रहते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के अलावा जिला स्तर पर सरस मेले लगाए जाते हैं, जिनमें शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी हस्तशिल्पों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है।

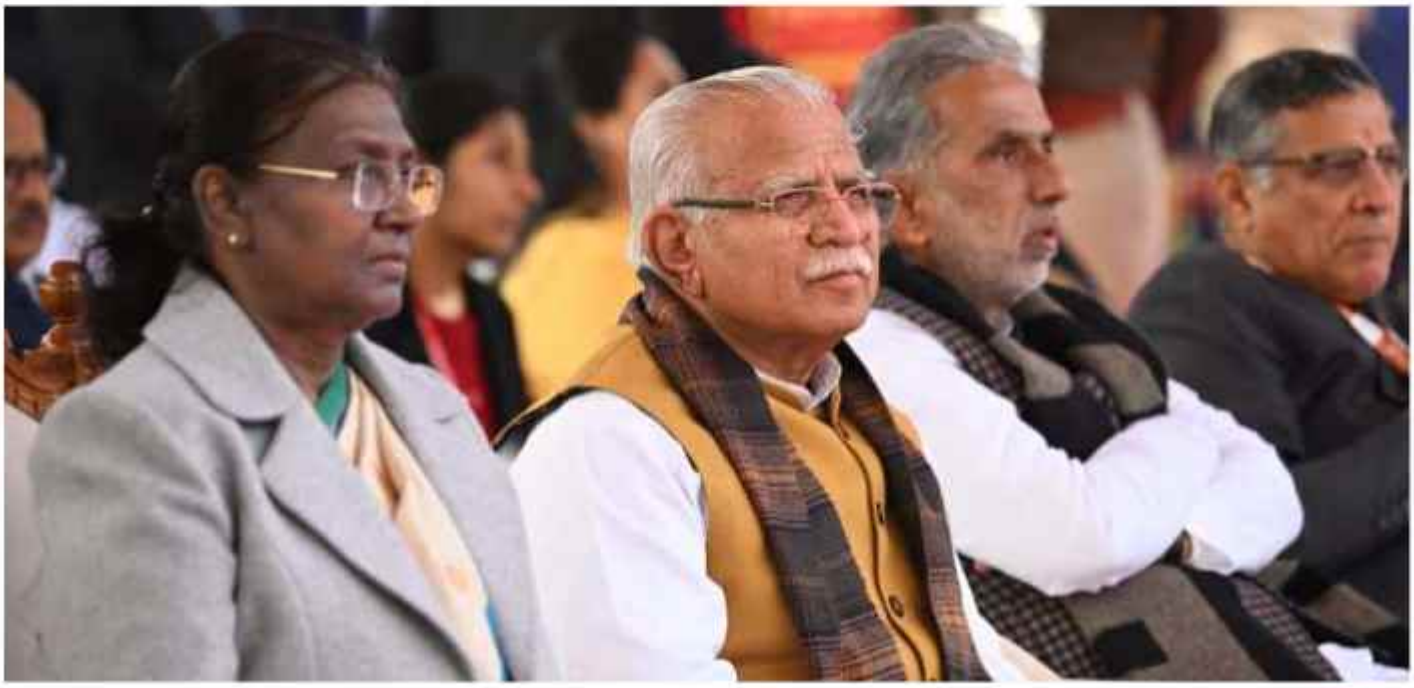

साप्ताहिक सूचना पत्र

माननीय प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात

(दिनांक 02.02.2024)

प्रभाव : माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान हरियाणा में चलाई जा रही योजनाओं व विकासात्मक कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शिता पूर्ण मार्गदर्शन उन्हें सदैव नई ऊर्जा के साथ जन सेवा की प्रेरणा देता है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन

(दिनांक 03.02.2024)

प्रभाव : भारत के उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने आज **सूरजकुंड फरीदाबाद में हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष–एक नये एवं जीवंत हरियाणा का उदय शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किया।** इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय और माननीय मुख्मयंत्री जी सहित कई गणमान्य अतिथियों की गरीमामयी उपस्थिति रही। **पुस्तक का विमोचन करने उपरांत उप राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में हरियाणा प्रदेश को देश के लिए रोल मॉडल बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन को लेकर किया गया कार्य आसान नहीं था।** व्यवस्था परिवर्तन का यह काम इसलिए कठिन था क्योंकि ऐसा काम करने से सबसे पहले वह लोग आपको चुनौती देते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। वे आपके सामने एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि सत्ता में क्यों आए हो, दशकों की राजनीतिक

संस्कृति क्यों बदल रहे हो, अपने लोगों को नौकरी नहीं देंगे तो हमें सपोर्ट कौन करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने समस्त हरियाणा को अपना परिवार माना और व्यवस्था परिवर्तन का काम कर दिखाया। उन्होंने कहा की यह संकेत **हरियाणा में नहीं अपितु पूरे देश में गया है। आज हरियाणा प्रदेश के 'ट्रांसपेरेंट–अकाउंटेबल–ऑनेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस' की चर्चा पूरे देश में होती है।**

उन्होंने कहा कि कृषि, खेल और रक्षा सेवाओं सहित अनेक क्षेत्रों में आज हरियाणा का परचम है। हरियाणा के किसान और जवान ने हमेशा हमारा सिर ऊंचा करने का कार्य किया है। **उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सुशासन के सातों सिद्धांत शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा को सात्विक बताते हुए कहा की ये सातों सिद्धांत प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए अति आवश्यक हैं।** उप राष्ट्रपति जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर की सराहना करते हुए कहा कि संसद टीवी पर मोटिवेटर के रूप में उनका व्याख्यान करवाया जायेगा।

पुस्तक विमोचन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि यह हरियाणा वासियों के लिए गौरव की बात है कि हरियाणा राज्य के विगत नौ साल में हुए विकासात्मक परिवर्तन के सभी गवाह बने हैं और निरंतर हो रहे विकास के फलस्वरूप आगामी पीढ़ी सदैव हरियाणा के इन गौरवशाली पलों को याद रखेगी। **राज्यपाल जी ने कहा कि आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ हरियाणा एक–हरियाणवी एक के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए समान विकास की विचारधारा से कदम बढ़ाए हैं।** नित नए आयाम स्थापित करते हुए हरियाणा की पहचान अब दुनिया में कायम हो रही है। उन्होंने **हरियाणा सरकार के**

साप्ताहिक सूचना पत्र

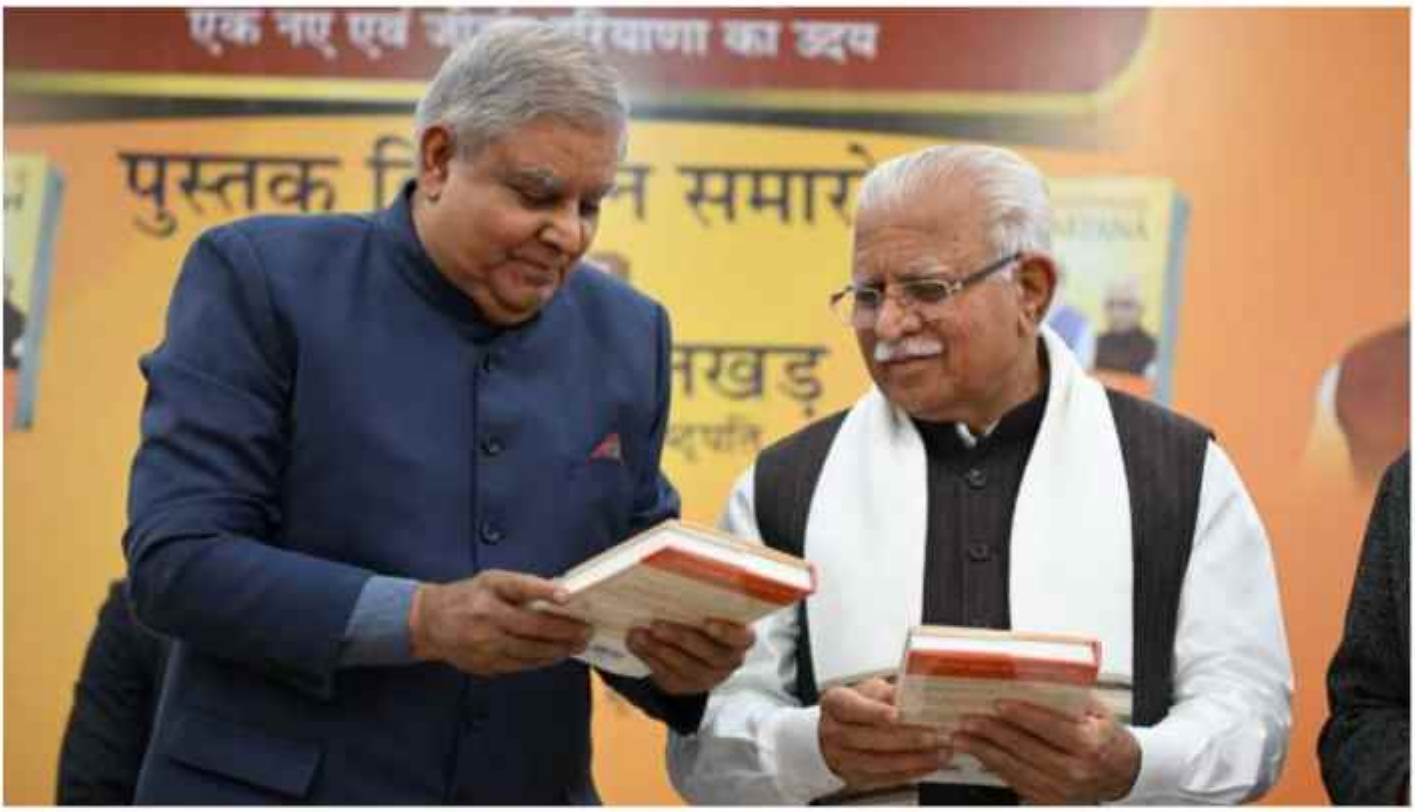

नौ अतुलनीय वर्ष पर केंद्रित पुस्तक को प्रदेश के ट्रैक रिकार्ड की पुस्तक बताया। राज्यपाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें सच्चा व अच्छा व्यक्ति बताया और कहा कि जनसेवक के रूप में समस्त हरियाणा उनका परिवार है वे अपना दायित्व प्रभावी रूप से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि **हरियाणा प्रदेश में गत 9 वर्षों में व्यवस्था परिवर्तन के साथ किये गए विकास गाथा को दर्शाती यह पुस्तक हरियाणा का नया इतिहास बनेगी।** उन्होंने कहा कि यह पुस्तक गांव में भी पहुंचनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे की राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा **सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष पुस्तक में राजनीतिक, शिक्षाविद, सामाजिक, प्रशासनिक व न्यायिक पदों पर आसीन**

साप्ताहिक सूचना पत्र

व्यक्तियों के विचारों का समावेश किया गया है। देश व समाज के हित में प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रबुद्धजनों ने भी इस पुस्तक में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल का अनुभव सांझा करते हुए कहा कि इन 9 वर्षों में सरकार ने जमीनी हकीकत पर कार्य किया और जनमानस की तकलीफों को महसूस करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया।

सुशासन व अंत्योदय की भावना पर आगे बढ़ते हुए प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाया है। उन्होंने बताया कि **तीन सी–क्राइम, करप्शन व कास्ट बेस्ड राजनीति से दूरी बनाते हुए हरियाणा एक–हरियाणवी एक की भावना को साकार किया।** उन्होंने अपने दृष्टिकोण के ध्येय में सात एस का जिक्र करते हुए बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा पर आधारित व्यवस्था को आज प्रदेश में स्थापित किया गया है। उन्होंने

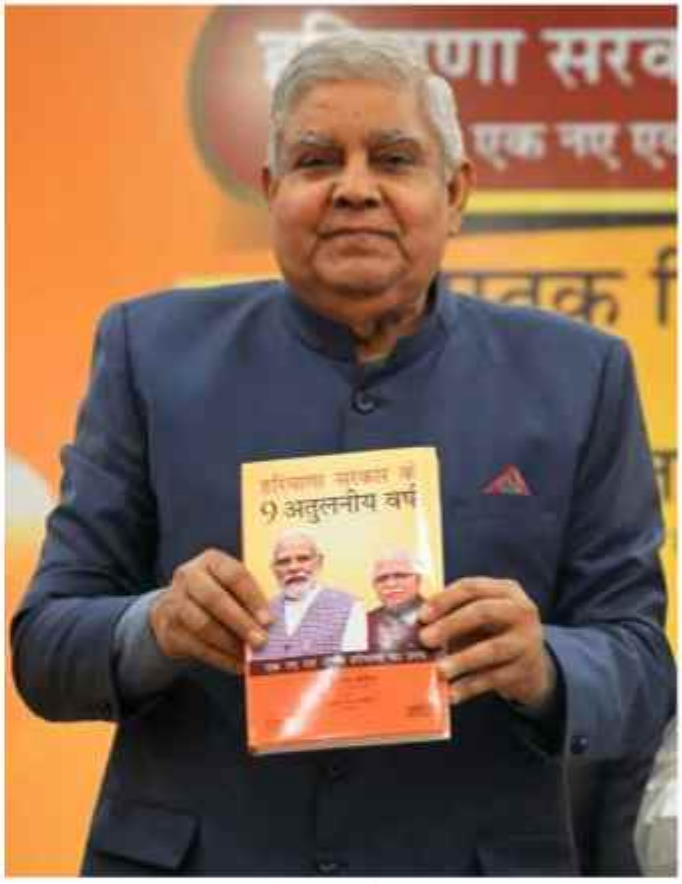

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के अवसर से जुड़े संस्मरण भी कार्यक्रम में सांझा किए। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नेशन फर्स्ट की भावना के साथ कार्य करते हुए उसी संस्कृति पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश में आगे भी जनसेवा की भावना निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने पुस्तक का विमोचन करने के लिए उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का आभार भी व्यक्त किया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

बीजेपी सदस्यता समरोह

(दिनांक 04.02.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने **पंचकूला में आयोजित एक कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे देश में राममय वातावरण है।**

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रामराज्य की परिकल्पना का अर्थ उस आदर्श राज से है, जंहा गरीब की सेवा, सभी को बराबर सम्मान और लोकतांत्रिक तरीके से सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले। उन्होंने कहा कि **वर्ष 1977 से वे देश और समाज में सेवा में तत्पर हैं। वे पिछले 9 वर्षों से "हरियाणा एक हरियाणवी एक" की भावना के साथ प्रदेश के 2.80 करोड़ से अधिक लोगों की सेवा के साथ आगे बढ़ रहे हैं।**

समाज के हर गरीब को उसका हक मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार ने अंत्योदय को आधार मानकर अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। इन

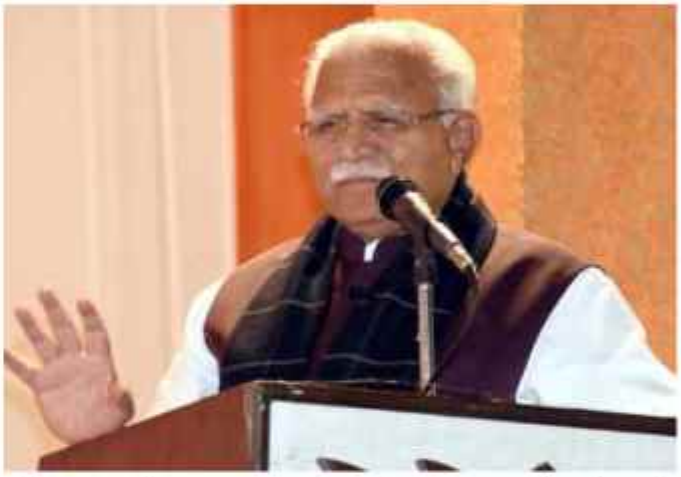

योजनाओं का न सिर्फ गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है, बल्कि वे आज समाज में सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन भी कर रहे हैं। **विकसित भारत संकल्प यांत्रा जनंसवाद में लाखों लोग यात्रा से जुड़कर केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न लोकहितैषी योजनाओं की न केवल जानकारी ले रहे हैं, बल्कि उनका लाभ भी उठा रहे हैं।** प्रदेश में लोगों को घर बैठे ही आनलाइन माध्यम से योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पिछले 9 वर्षों में उन्होंने लोगों को दफ्तर, दस्तावेज व दर्खवास्त के चक्रो से निजात दिलवाई है।